प्रेषक,

नरेश बहादुर ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 31 जुलाई, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से प्रथम पॉच माह **(माह अप्रैल से माह अगस्त, 2017)** हेतु शक्कर विशेष निधि के अधीन प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ, उ.प्र. को अधिष्ठान, प्रशिक्षण, कार्यालय प्रकीर्ण व्यय एवं पूँजीगत मद में व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में **कार्यसूची संख्या-5** के अनुसार, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ, उ.प्र. को अधिष्ठान, प्रशिक्षण, कार्यालय प्रकीर्ण व्यय, अनावर्तक एवं पूँजीगत मद में व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माह **(माह अप्रैल से माह अगस्त, 2017)** के लिए, **संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार, रू.375.00 लाख (रूपया तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)** आहरित कर निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध कराने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का व्यय शक्कर विशेष निधि के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य व्यय/ मद पर वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/ निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्टआफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि की, दी गई तालिका में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

6- आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना/आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

7- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि **रू.375.00 लाख,** को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24(राजस्व लेखा) के लेखा शीर्ष-**''2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0301-उ.प्र. गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''** के नामे डाला जाएगा।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या- 4 /2017/1674 (1)सी.डी./46-3-17-02(श.वि.नि.)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संयोजक, उ. प्र. शक्कर विशेष निधि समिति।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
6- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
9- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 4 /2017/1674 सी.डी./46-3-17-02(श.वि.नि.)/2016, दिनांक 31 जुलाई, 2017

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का संलग्नक

(वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माह हेतु)

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	मद का नाम	प्रथम पांच माह हेतु स्वीकृत धनराशि
अ-	**अधिष्ठान व्यय**	
1	वेतन एवं भत्ते	216.25
2	सेवानिवृत्त कार्मिकों की गेच्युटी एवं नकदीकरण	41.67
3	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2.08
4	यात्रा भत्ता	4.17
5	सी.पी.एफ. अंशदान	23.33
	योग-	287.50

ब-	**प्रशिक्षण/ प्रकीर्ण व्यय**	
1	प्रवक्ताओं का पारिश्रमिक	4.33
2	अतिथि/ **कृषक**/कर्मचारी जलपान	6.13
3	विचार गोष्ठी किसान मेला	0.56
4	अन्त: प्रदेशीय अध्ययन यात्रा	2.08
5	पम्पलेट मैगजीन प्रकाशन	0.83
6	चार्ट होल्डिंग्स	0.50
7	प्रचार यंत्र जनरेटर	1.04
8	फर्नीचर का रख-रखाव	0.79
9	पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय	0.25
10	पुस्तकों की बाइडिंग	0.08
11	जीप कार पर व्यय	11.79
12	डाक तार पर व्यय	0.22
13	स्टेशनरी पर व्यय	2.73
14	बिजली बिलों का भुगतान	17.88
15	बिजली ध्वनि उपकरण	1.50
16	भवन रख-रखाव	1.46
17	टयूबबेल रख-रखाव	0.79
18	भवन कर एवं किराया	24.83
19	उद्यान रख-रखाव	0.71
20	कर्मचारी वर्दी	0.52
21	फोटो कापियर/ टाईप राइटर रख-रखाव	0.86
22	टेलीफोन पर व्यय	1.09
23	**कृषक स्टेशनरी**	2.50
24	**विविध व्यय**	2.27
25	**वातानुकुलन का** रख-रखाव	0.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

26	**अग्निशमन** यंत्र	0.21
27	**श्रोतशाला बीमा**	0.03
28	**कानूनी व्यय**	0.63
29	**विज्ञापन व्यय**	0.06
	योग-	87 .50
	महायोग (अ + ब)	375 .00

(रूपया तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।